फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री नानालाल — विपक्षी :– तहसीलदार कानोड़

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. — पत्रावली संख्या : 112/22

कमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 25.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार कानोड़ द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भागचन्द पिता भगवान खटीक गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु अनुशंषा की गई। तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट में ग्राम भीण्डर में नानालाल पिता भगवान व भागचन्द पिता भगवान खटीक दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया। भागचन्द पिता भगवान खटीक नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बताया। अतः प्रार्थी का नाम भागचन्द पिता भगवान खटीक के बजाय नानालाल पिता भगवान खटीक किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया एवं कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुरा(भीण्डर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया की भागचन्द पिता भगवान खटीक वह नानालाल पिता भगवान खटीक दोनों नाम के एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नानालाल पिता भगवान खटीक दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा सह खातेदारों का सहमती पत्र भी पेश किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार कानोड़ की अनुशंषा के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा बोरतलाई पटवार हल्का [illegible](भीण्डर) [illegible] की खाता संख्या 85 कुल किता 5 रकबा [illegible] भूमि में खातेदार भागचन्द पिता [illegible] पिता भगवान खटीक सं[illegible] जावे। पालन[illegible] तहसीलदार कानोड़ को लिखा जावें। [illegible] क्रम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:12 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पूनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर • जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner